सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी–रामनिवास जाट, आर.ए.एस

नजरसानी प्रार्थना पत्र संख्या : 18/19 **निर्णय दिनांकः 05–09–2019**

1. दीपाराम पुत्र हेमाराम जाति कुम्हार निवासी चक 1 बीआरडब्ल्यूएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।

–प्रार्थी

–बनाम–

1. सल्लाखातून पत्नी सोनेख़ॉ जाति मुसलमान निवासी चक 1 बीआरडब्ल्यूएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
2. नूर मोहम्मद
3. मोहम्मद सरीफ
4. हनीफ

   पुत्रगण सोने खॉ जाति मुसलमान निवासीगण कुण्डल हाल चक 1 बीआरडब्ल्यूएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
5. शरीफा पत्नी करीम खॉ निवासी चक 1 बीआरडब्ल्यूएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
6. नाजय अली
7. अल्ताफ
8. रूकसाना

   पुत्र–पुत्री करीमखॉ जाति मुसलमान निवासीगण कुण्डल हाल चक 1 बीआरडब्ल्यूएम तहसील खाजुवाला जिला बीकानेर।
9. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार खाजुवाला।

–अप्रार्थीगण

नजरसानी प्रार्थना पत्र विरुद्ध
आदेश दिनांक 22–07–2019
राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर

न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते बीकानेर

उपस्थितः–

1. श्री नरेन्द्र गौड़, अभिभाषक प्रार्थी
2. श्री नरसाराम जाखड़, अभिभाषक अप्रार्थीगण
3. श्री नन्दराम कॉसनिया, राजकीय अभिभाषक

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

–निर्णय–

1. प्रार्थी ने यह रिव्यू प्रार्थना पत्र राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर के निर्णय दिनांक 22–07–2019 जिसके द्वारा प्रार्थी/अपीलांट की अपील खारिज की गई है, के विरुद्व इस न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 229 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष वादग्रस्त भूमि भूमि चक 1 बीआरडब्ल्यूएम के मुरब्बा नम्बर 101/45 के किला नम्बर 1 ता 19 व 21 की कुल 20 बीघा भूमि जोकि प्रार्थी को पुख्ता आवंटित है उक्त भूमि के मुरब्बा नम्बर 101/45 के किला नम्बर 20 व 22 ता 25 की 5 बीघा अनकमाण्ड भूमि स्मालपेच आवंटन योग्य उपलब्ध होने पर अपीलांट/प्रार्थी की दरखवाश्त जैरकार होते हुए भी एकतरफा तौर पर दिनांक 07–11–1987 को अप्रार्थी के पति–पिता सोने खॉ के नाम से स्मालपेच आवंटित कर दी गई। प्रार्थी द्वारा उक्त आवंटन के विरूद्व सक्षम न्यायालयों में अपील, निगरानी व रिट याचिका प्रस्तुत किये जाने पर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर की डबल बैंच द्वारा दिनांक 12–03–2003 को प्रकरण पुनः सनुवाई व सबूत का अवसर प्रदान करते हुए परीक्षण न्यायालय को प्रेतिप्रेषित किया गया। उक्त निर्णय की पालना में आवंटन अधिकारी द्वारा दिनांक 13–08–2004 को अपीलांट के नाम से उक्त भूमि का आवंटन कर दिया गया। तत्पश्चात् लम्बी कानूनी लड़ाई के उपरान्त भी प्रार्थी को आज दिनांक तक अनावश्यक रूप से प्रार्थी को तंग व परेशान करने की नियत मात्र से अनावश्यक कारणों से निर्णय पारित किये जा रहे है।

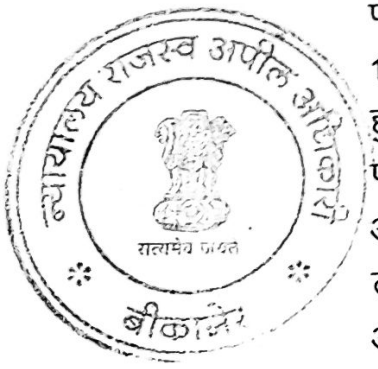

इसी कम में न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 22–07–2019 को पारित निर्णय में मुरब्बा नम्बर 101/45 के किला नम्बर 21 की भूमि अप्रार्थी के पति व पिता सोणे खॉ को स्थाई आवंटन मानकर उक्त भूमि सोणे खॉ की कदीमी गैर खातेदारी भूमि में होने तथा केवल पड़ौसी चिपता काश्तकार होने के कारण तत्कालीन नियमों के तहत केवल सोणे खॉ ही आवंटन की पात्रता रखता था, को आधार मानकर निर्णय पारित

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

कर दिया गया। जबकि उक्त मुरब्बा नम्बर 101/45 के किला नम्बर 21 की भूमि का सोणे खॉ को कभी भी स्थाई आवंटन नहीं किया गया था ना ही वह उक्त भूमि का कदीमी गैर खातेदार रहा है। जबकि स्वीकृत तथ्य यह है कि किला नम्बर 21 का प्रार्थी को स्थाई आवंटन किया गया था तथा वर्तमान में वह उक्त भूमि का रिकार्डेड खातेदासर है व नाही अप्रार्थीगण द्वारा आज दिनांक तक उक्त किला नम्बर 21 की भूमि के बाबत् कोई क्लेम किया है। ऐसी स्थिति में प्रश्नगत् भूमि के अतिरिक्त किला नम्बर 21 की भूमि को प्रार्थी के स्थान पर सोणे खॉ को स्थाई आवंटन मानकर आदेश जैर अपील पारित करने में कानूनी भूल कारित की गई है। जो स्पष्ट रूप से एरर अपेरनट् ऑफ दी फेस ऑफ दी रिकार्ड है।

उन्होनें आगे बताया कि न्यायालय हाजा द्वारा पारित निर्णय दिनांक 22–07–2019 में ग्राम केलां की 15 बीघा 01 बिस्वा तथा ग्राम सत्तासर की 40 बीघा भूमि अवाप्त होना माना गया है जबकि यह निर्विवाद तथ्य है कि उक्त भूमि को कभी भी अवाप्त नहीं किया गया है। उक्त तथ्य निर्णय में काल्पनिक आधार पर अंकित किये गये है। ऐसीस्थिति में यह स्पष्ट है कि आदेश जैर प्रार्थना पत्र पारित करने में न्यायालय द्वारा कानूनी त्रूटि कारित की गई है जो एरर अपेरनट् ऑफ दी फेस ऑफ दी रिकार्ड की श्रेणी में आता है।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा आगे कथन किया गया कि प्रार्थी/अपीलांट द्वारा स्माल पेच आवंटन के संबंध में अपील की बहस के दौरान माननीय उच्च न्यायालय की नजीरें अपने कथन के समर्थन में प्रस्तुत की गई थी, परन्तु उक्त नजीरों का निर्णय में किसी प्रकार का कोई विवेचन व उल्लेख नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु व नजीरों को नजरअंदाज करना मिस्टेक अपीयर्ड ऑन दा फेस ऑफ दा रिकार्ड है, जो काबिल रिव्यू होने से प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–07–2019 निरस्त फरमाया जाकर अपील को पुनः सुनवाई में लिये जाने के आदेश प्रदान करावें।

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी द्वारा अपने कथन के समर्थन में आरआरटी 2013 पार्ट I पेज 682, आरआरटी 2017 पार्ट I पेज 402, व आरआरडी 1990 पेज 335 के न्यायिक दृष्टांत पेश किये।

4. विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र रेवेन्यू कोर्ट मैन्यूअल के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थी द्वारा सम्पूर्ण निर्णय को अपील की तरह चुनौती दी गई है। जबकि नजरसानी का दायरा सीमित है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नजरसानी प्रार्थना पत्र कानून के प्रावधानों के विपरीत होने से एडमिशन योग्य नहीं है। प्रार्थी न्यायालय हाजा के द्वारा पारित आदेश के विरूद्व सक्षम न्यायालय में चाराजोई कर सकता था।

उन्होनें आगे कथन किया कि जहॉ तक गुणावगुण का प्रश्न है, न्यायालय हाजा द्वारा प्रकरण की तमाम परिस्थितियों व दस्तावेजों के अवलोकन को मद्देनजर रखते हुए विस्तृत रूप से आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई कानूनी त्रूटि प्रतीत नहीं होती हैं अतः प्रार्थी का रिव्यू प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्षों की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. प्रस्तुत रिव्यू प्रार्थना पत्र में प्रार्थी ने सोणे खॉ को किये गये मूल आवंटन को उसकी पुरानी पुश्तैनी भूमि के एवज में मानने पर आपत्ति की है तथा दीपाराम द्वारा आवंटन हेतु प्रस्तुत दरखवाश्त को उच्च न्यायालय द्वारा मान्यता देने का उल्लेख करते हुए निर्णय में त्रूटि बताई है। परीक्षण न्यायालय की पत्रावली में शामिल दीपाराम की दरखवाश्त को आवंटन अधिकारी द्वारा रिकार्ड पर लिया होगा, परन्तु मूल आवेदन पत्र कहीं पृष्ठांकन की तारीख नहीं है जिसके अभाव में उसका आवेदन सोणे खॉ के आवेदन से पहले प्रस्तुत होना साबित नहीं माना जा सकता। पत्रावली में भूमि उपनिवेशन में आने से पूर्व ग्राम केलां की 15 बीघा 01 बिस्वा तथा सत्तासर की 40 बीघा भूमि सोणे खॉ की काश्त में होने का सबूत आवंटन अधिकारी की पत्रावली में है। उक्त भूमि का

राजस्व अपील अधिकारी
बीकानेर

नक्शा देखने से स्पष्ट है कि मुरब्बा नम्बर 101/45 का किला नम्बर 21 भी सोणे खॉ की पुरानी काश्तशुदा भूमि का हिस्सा रही है, जिसे बाद में सोणे खॉ को आवंटित नहीं किया गया तथा दीपाराम को नये सिरे से आवंटित कर दिया गया।

आवंटन प्रकरण में अंतिम आदेश दिनांक 04–02–2009 को उपखण्ड अधिकारी, खाजुवाला द्वारा जारी किया गया है, जिसमें दोनों पक्षकारों को किये गये आवंटन तथा विभिन्न न्यायालयों के निष्कर्षो का स्पष्ट उल्लेख करने के उपरान्त उपलब्ध रिकार्ड के आधार पर सोणे खॉ का आवंटन पहले का तथा दीपाराम का आवंटन पश्चात्वर्ती माना गया है। नजरसानी आदेश में उपखण्ड अधिकारी खाजुवाला के अपीलाधीन आदेश में वर्णित प्रत्येक साक्ष्य का भलीं भांति विवेचन किया गया है। नजरसानी का स्कोप सीमित है। विचाराधीन प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत आरआरटी 2013 पार्ट । पेज 682, आरआरटी 2017 पार्ट । पेज 402, व आरआरडी 1990 पेज 335 मामलें पर चस्पा नहीं होते है।

7. अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर प्रार्थीगण का नजरसानी प्रार्थना पत्र सारहीन पाये जाने पर खारिज किया जाता है तथा न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 22–07–2019 बहाल रखा जाता है।

8. निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 05–09–2019 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
(रामनिवास जाट)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर